21.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नोटिस तलबाना मय रजिस्टर्ड ए.डी. मय डिलीवरी (ट्रेक) रिपोर्ट पेश की जिन्हें शामिल मिसल किये गये। [illegible] कर तीन बार आवाज लगवाई गई, बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1,2 के संयुक्त खातेदारीशुदा व कब्जा काश्तशुदा की खातेदारी आराजी ग्राम कोला रेबारियों की ढाणी के नवीन खसरा 2.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 134 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 135 रकबा 0.18 हैक्टेयर संख्या 171/1943 रकबा 41300 हक जिसमें प्रार्थी का 13767/41300 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी सं. 1 व 2 के का प्रार्थी एवं अप्रार्थी हिस्से मौके पर कब्जे काश्त एवं हिस्से के बंटवारे अनुसार आपसी सहमति से दिया गया था। काफी समय पूर्व कर दिया गया था। कब्जे काश्त में हुए अनुसार प्रार्थी मौके [illegible] काश्त व हिस्से की [illegible] है प्रार्थी [illegible] प्रार्थी के नाम से [illegible] होती चली आ रही है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1,2 ने मौके पर कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

सहा. कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड) अधिकारी, सांचोर

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	एवं हिस्से अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया था मगर राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने से आये दिन पक्षकारान के मध्य मार्ग आदि को लेकर विवाद होता रहता है इस कारण प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तामील तलबी बाद तक विरुद्ध अप्रार्थीगण इस्माईल [illegible] जारी फरमावें कि मौजा कोलां रेवासियों की भूमि के ख.नं. 134, 171/1943, 172 कुल रकबा की वापसी, रहन, रजिस्ट्री, बेचान आदि नहीं करें।	
	हमने अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट आ रहा शामलाती आ रही है जो अपने-अपने कब्जा काश्त के काबिज है तथा खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं [illegible] विवाद नहीं है [illegible] एवं विलकुल पक्षकारों [illegible] होगा। किसान आदान-अनुदान, फसल नष्ट के.सी.सी. ऋण एवं अन्य सरकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	योजनाओं के वेरिफिकेशन रहना पड़ेगा, तथा गया रेकॉर्ड ओरिजनल के विरुद्ध कार्यवाही हिदायतनामा जारी किया जाना उचित नहीं जान पड़ता है।
	अतः प्रस्तुत विवेचनानुसार आवेदन पत्र ग्राह्य पोषणीय नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।
	पत्रावली फैसल हुआ रेकॉर्ड नंबर से एक कम करके दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner